

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० दिनेश उपाध्याय,
सरकार के उप सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

श्री विन्धेश्वर प्रसाद सिंह
सहायक अभियन्ता,
गालूडीह दॉया नहर प्रमण्डल सं0-1, मुसावनी, शिविर—गालूडीह
सम्प्रति (अधिसूचित) कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), तेनुघाट बॉध प्रमण्डल, तेनुघाट।

श्री मदन कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता,
खरकई बॉध अवर प्र0 सं0-6, कुजू चाईवासा (खरकई बॉध प्रमण्डल संख्या—2, ईचा
चालियामा।)

सम्प्रति (अधिसूचित) कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), खरकई नहर प्रमण्डल, चाईवासा।

श्री विजय कुमार वर्मा
सहायक अभियन्ता,
सिंचाई अवर प्रमण्डल, घाटशीला, शिविर—गालूडीह, (सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह)

श्री ब्रह्मा राय
सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, डुमरी
सम्प्रति (अधिसूचित) कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू।

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार)
खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर
सम्प्रति (अधिसूचित) कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार)
रुपांकण प्रमण्डल संख्या—3, आदित्यपुर।

श्री मुकुल कुमार सिन्हा
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार)
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चाईवासा
सम्प्रति (अधिसूचित) कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), जलपथ प्रमण्डल, खूंटी।

रॉची, दिनांक :—

विषय:—स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :—विभागीय अधि० सं० 6226 दिनांक 30.12.11 एवं विभागीय अधि० सू० 6227
दिनांक 30.12.11 तथा विभागीय अधि० सं० 6227 दिनांक 30.12.11

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि प्रसंगाधीन अधिसूचना के अनुपालन में विभागीय आदेश सं० 179 दिनांक 12.1.12 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में आपको अपने वर्त्तमान पद का प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित पद/कार्यालय का प्रभार दिनांक 20.1.2012 तक ग्रहण कर विभाग को सूचित करना था, परन्तु आपके द्वारा उक्त विभागीय आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अब तक विभाग को नहीं दिया गया जो प्रथम द्रष्ट्या विभागीय

आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्यों के निष्पादन में शिथिलता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।
इसके लिए क्यों नहीं आपको निलंबित कर आपके उपर विभागीय कार्यवाही चलाई जाए?

अतएव उक्त अंकित तथ्यों के आलोक में अपना स्पष्टीकरण पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/—



(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :—

४६७ रॉची, दिनांक :— १.२.१२

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, ईचा, जमशेदपुर / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, चांडिल, जमशेदपुर / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, रॉची / मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, रॉची / मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर / मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, दुमका / मुख्य अभियन्ता, यांत्रिक, रॉची / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से सम्बन्धित अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ विभाग को ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके।


(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)


निबंधित